

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

बोपी

बनाम शकपूरल वर्त

107/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>10/11/18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। एकीकृत 304 पक्ष उपयुक्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब... दिनांक 01/11/18 को पेश का</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	
<p>01/11/18</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। एकीकृत उभय पक्ष उपस्थित। फीकर साफ़ार ने जवाब न देकर सीधे बहस की। उभय पक्षों को बहस प्रारंभ पत्र के द्वारा 128 के द्वारा सूची। बहस सुनने का निर्देशन करने पर उक्त दिवसित भूमि प्रारंभ के नाम राजाव रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रारंभ के पदपरगी कारणे का कोई अधिका नही होने है प्रारंभ का प्रारंभ पत्र के द्वारा 128 के द्वारा सू-राजस अधिका के स्वार्थित किया जाता है प्रारंभ फीकर सुनने के बाद ही जारी इष्ट हो</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>	

